न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 59/2021

जीसीएमएस नम्बर :– 2021/172

अनवान

1. नाथु पिता रूपा गाडरी निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देउ पुत्री रूपा गाडरी पत्नि चम्पालाल गाडरी निवासी देवरिया हाल नि.गिरडिया तहसील सहाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोटुलाल उर्फ नन्दलाल पिता नानुराम गाडरी निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नानीदेवी बेवा नानुराम गाडरी निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनी पुत्री नानुराम गाडरी निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नोसर पुत्री नानुराम गाडरी पत्नि शिवलाल गाडरी निवासी देवरिया हाल नि0 कांगणी तह.सहाड़ा
5. कैलाशी पुत्री नानुराम गाडरी पत्नि कैलाश गाडरी निवासी देवरिया हाल निवास टोकरा तह.रायपुर
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता विपक्षी 1
3. विपक्षी 2 लगायत 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 13/9/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 व अन्य प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित होते है, सजरा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के इस सजरे अनुसार मूल पुरूष भजेराम थे उनके तीन लड़के नारू उदयराम, मोती हुए। नारू के तीन लड़के रूपा, भुरा, जयचन्द हुए तथा उदयराम के एक पुत्र मांगीलाल हुआ और उसके एक पुत्र भागीरथ है जो प्रतिवादी है। मोती के एक पुत्र रामा हुआ। नारू की विरासत में भुरा ने अपने जीवनकाल में ही सम्पूर्ण कृषि आराजियात जयचन्द को बैच दी है। रूपा जो प्रार्थीगण का पिता है उनके तीन लड़के खुमा, प्रताप, नाथु एक पुत्री देउ हुई इनमें सबसे बड़ा पुत्र गोद चला गया जिससे रूपा की विरासत से उसका कोई अधिकार नही रहा। प्रताप लाऔलाद फौत हो गए जिससे रूपा की विरासत में केवल मात्र प्रार्थी नाथु व प्रार्थी 2 देउ ही शेष रहे है। खुमा के एक पुत्र नानुराम है जिसकी मृत्यु हो जाने से उसके विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 वारीस है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. राजस्व ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया के बैरून हल्का आबादी में तत्कालीन खातेदार भुरा, रूपा, जयचन्द पिता नारू गाडरी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न साबिक आराजियात स्थित थी –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	37	1078/1	12 बिस्वा
2	37	1099/1	1 बीघा 13 बिस्वा
3	37	1100/2घ	17 बिस्वा
4	37	1112/2	2 बीघा 8 बिस्वा
5	37	1246/3घ	13 बिस्वा
6	37	1249/3	1 बीघा 11 बिस्वा
7	37	1281/1	2 बीघा 3 बिस्वा
8	37	1282/2	1 बीघा 13 बिस्वा
9	37	1286/1ग	2 बीघा 2 बिस्वा
	कुल किता कुल रकबा	**11**	**16 बीघा 12 बिस्वा**
10	38	1100/2क	2 बीघा 2 बिस्वा
12	38	1100/3	1 बीघा 6 बिस्वा
13	38	1101/1क	5 बिस्वा
14	38	1103	3 बिस्वा गेमु. आचा
15	38	1111	2 बिस्वा गेमु. आचा
16	38	530/3ख	10 बिस्वा
17	38	530/4ख	6 बिस्वा
	कुल किता कुल रकबा	**7**	**4 बीघा 14 बिस्वा**

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2011 से 2014 तक साथ पेश की है।

3. प्रार्थीगण के पिता रूपा जी पिता नारूजी के जीवन काल में ही प्रार्थी गण के बड़े भाई खुमाजी रामा पिता मोतीजी के गौद चले जाने से रामाजी की मृत्यु होने पर साबिक खाता संख्या 38 में वर्णित आराजियात कुल किता 07 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि में खाता उनके बजाय खुमा पिता रामा गाडरी के नाम पर दर्ज हो गया। खुमा पिता रूपा गाडरी का कोई हक एवं अधिकार शेष नहीं रहा और उनके गौद पिता की विरासत में सम्पूर्ण हक एवं अधिकार बतौर पुत्र प्राप्त हो गया। परन्तु रूपा जी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 02 में वर्णित साबिक खाता संख्या 37 में वर्णित साबिक आराजियात कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि में विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 351 दिनांक 23.04.1970 को फैसल किया गया। उसमें खुमा, प्रताप, नाथु पिता रूपा गाडरी के नाम से दर्ज कर फैसल कर दिया गया। जबकि खुमा रामा गाडरी के गौद चला गया, जिससे रूपा की विरासत का नामान्तरणकरण केवल मात्र उनके शेष रहे प्रथम श्रेणी के वारीस प्रताप, नाथु पिता रूपा, व उनकी पुत्री देउ पुत्री रूपा के नाम खोला जाना चाहिए था, किन्तु गैर कानूनी तरीके से खुमा का नाम भी दर्ज कर दिया गया। जिससे उक्त नामान्तरणकरण शुरू से ही शून्य एवं अवैध हैं। एव शुरू से ही एव एन एशियों वॉइड हैं। तथा रूपाजी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमियों पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा हैं और प्रार्थीगण ही काश्त कर रहे हैं। खुमा का रूपाजी की भूमियों पर न तो कोई कब्जा है। और ही उनका कोई हक एवं अधिकार ही है। जिससे उक्त नामान्तरणकरण संख्या 351 दिनांक 23.04.1970 अपारत होने योग्य हैं।

4. रूपा का दुसरा लड़का प्रताप भी लाऔलाद फौत हो गया, उसका नामान्तरणकरण भी केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज किये जाना चाहिए था, खुमा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गैरकानूनी तरीके से उसकी विरासत में प्रार्थीगण के साथ साथ अपना नाम भी दर्ज करवा

सहायक कलक्टर

दिया, जिससे प्रताप का नामान्तरणकरण भी प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही शून्य प्रभावी होकर अवैध हैं और अपास्त होने योग्य है। रूपा की विरासत में केवल मात्र प्रार्थीगण ही प्रथम श्रेणी के वारीस हैं। और कब्जा भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा हैं। जिससे खुमा पिता रूपा का नाम विरासत से विलोपित किया जाकर उसके नाम दर्ज भूमि को प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज करने की घोषणा डिक्री प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं।

5. खुमा पिता रूपा, रूपाजी के जीवनकाल में ही रामा पिता मोती गाडरी के गोद चला गया जिससे रामाजी की साबिक आराजी संख्या 1092/2, 1100/2 ग. 1101/2 ख 1110/1, 1112/3, 1246/3ख 1249/1, 1283/2, 1284, 1286/1क, 1099/3 कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि गौद पुत्र खुमा पिता रामा (रत्ता) के नाम साबिक खाता संख्या 34 में भी दर्ज हो चुकी हैं और उनकी विरासत में उनको कृषि आराजियात एवं अन्य जायदाद में हक प्राप्त हो गया, इसलिये रूपाजी की विरासत में खुमा का कोई हक एवं अधिकार शेष नहीं रहा, फिर भी इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से खुमा ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके रामाजी की विरासत में भी हक प्राप्त कर लिया। और गलत तरीके से रूपा जी की विरासत में भी हम प्रार्थीगण के साथ अपना नाम दर्ज करवा दिया, जो पूर्ण रूप से कानूनन अवैध हैं।

6. तहसील रायपुर का भुप्रबन्ध होने से राजस्व ग्राम देवरिया का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया जिससे साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम किए गए जो निम्न है –

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	283	1956	0.12
2	283	1993	0.36
3	283	2000	0.18
4	283	2001	0.19
5	283	2007	0.41
6	283	2022	0.01
7	283	2023	0.51
8	283	2244	0.14
9	283	2251	0.33
10	283	2342	0.46
11	283	2343	0.36
12	283	2356	0.45
	कुल किता कुल रकबा	12	3.52
13	280	1986	0.11
14	280	1996	0.45
15	280	1997	0.28
16	280	2005	0.05
17	280	2008	0.23
18	280	925	0.06
	कुल किता कुल रकबा	6	0.98

नवीन आराजियात के खाता संख्या 283 में रूपा के अन्य वारीसानों के साथ–साथ खुमा पिता रूपा का 1/9 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया एवं खाता संख्या 280 में वर्णित भूमि में खुमा पिता रूपा का 4/81 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो गया है, जिसका नाम विलोपित करवा प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। आराजी संख्या 2018 रकबा 0.02 है0 गैमु. आचा में दर्ज खुमा पिता रूपा गाडरी के नाम दर्ज है जिसको विलोपित कर प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर

7. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मुलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम देवरिया तहसील रायपुर की सीमा में स्थित नवीन खाता संख्या 283 में अंकित कुल किता 12 कुल रकबा 3.52 है0 भूमि व खाता संख्या 280 में अंकित कुल किता 6 कुल रकबा 0.98 है0 भूमि एवं आराजी संख्या 2018 रकबा 0.02 है0 भूमि में खुमा पिता रूपा गाडरी के बजाय विपक्षीगण अपना नामान्तकरण दर्ज नही करवावे। वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण अपने नाम दर्ज करवा भूमियों को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से अन्तरित नही करे व खुर्द–बुर्द नही करें तथा प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करें न अन्य से करावें। प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देंवे। तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य करावे। वादग्रस्त भूमियों के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।
8. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से दिनांक 26.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज उपस्थित एवं विपक्षी संख्या 6 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
9. प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमत है।
10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षीगण की पैतृक कृषि अराजियात है। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया गया। वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर दिया जाता है तो वाद के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम देवरिया में स्थित निम्न कृषि आराजियात है –

क्र.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	283	1956	0.12
2	283	1993	0.36
3	283	2000	0.18
4	283	2001	0.19
5	283	2007	0.41
6	283	2022	001
7	283	2023	0.51
8	283	2244	0.14
9	283	2251	0.33
10	283	2342	0.46

सहायक कलक्टर

11	283	2343	0.36
12	283	2356	0.45
	कुल किता कुल रकबा	12	3.52
13	280	1986	0.11
14	280	1996	0.45
15	280	1997	0.28
16	280	2005	0.05
17	280	2008	0.23
18	280	925	0.06
	कुल किता कुल रकबा	6	0.98

उक्त भूमियों को उभयपक्ष किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे तथा उभयपक्ष के कब्जे काश्त से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करें न अन्य से करावें। उभयपक्ष को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देंवे। तथा उभयपक्ष के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य करावे। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। उभयपक्ष को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/2022 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लोड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर